इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों का जोरदार विरोध किया । भारतीय श्रम सम्मेलन ने अप्रैल, 1990 में इस मामले पर विचार-विमर्श किया और यह सिफ़ारिश की कि उपरोक्त विधेयक वापस ले लिया जाए और नए औद्योगिक संबंध कानून के लिए विशिष्ट प्रस्तावों को तैयार करने के लिए एक समिति गठित की जाए, जिसमें केन्द्रीय ट्रेड यूनियन और नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों । तदनुसार, यह विधेयक 30 मई, 1990 को वापिस ले लिया गया तथा 8 मई, 1990 को एक द्विपक्षीय समिति गठित की गई थी । सरकार इस मामले में उन सिफ़ारिशों को, जो समिति द्वारा की जाएंगी ध्यान में रखते हुए अपना दृष्टिकोण बनाएंगी । इस अवस्था पर यह बताना संभव नहीं है कि इस संबंध में कानून के लिए प्रस्ताव संसद के समक्ष कब प्रस्तुत किया जाएगा ।

महिलाओं से संबंधित कानूनों को लागू करने वाले तंत्र को सुदृढ़ किया जाना

1152. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों को लागू करने वाले तंत्र को सुदृढ़ करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) महिला श्रमिकों और बाल श्रमिकों से संबंधित प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुछ राज्यों में प्रायोगिक आधार पर योजना शुरु की गई है। इस योजना में 50% केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है जबकि शेष व्यय को संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को भी संशोधित किया गया था ताकि कुछ चुने हुए स्वैच्छिक संगठन अधिनियम के उल्लंघन के बारे में शिकायतें दर्ज करा सकें।

अधिकांश मामलों में, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए समुचित सरकारें हैं । केन्द्रीय सरकार महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों के कारगर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध करती रही है ।

मानव आवास प्रबंध संस्थान की स्थापना

1153. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगर विकास निगम ने हाल ही में अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से मानव आवास प्रबंध संस्थान की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के संस्थान की स्थापना का क्या उद्देश्य है; और

(ग) यह संस्थान किस सीमा तक आवास सुविधाएं उपलब्ध करा पाने में सफल हो सकेगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) हुडको द्वारा मानव बस्ती प्रबंध संस्थान (एच० एस० एम० आई०) की स्थापना 1985 में की गई थी । इन्डो-डच करार के अंतर्गत भारतीय मानव बस्ती कार्यक्रम आवास अध्ययन संस्थान रोटरडम के सहयोग से मानव बस्ती प्रबंध संस्थान को सौंपा गया है । मानव बस्ती प्रबंध संस्थान की

स्थापना का प्रयोजन आवास, गन्दी बस्ती सुधार, शहरी विकास आदि में कार्यरत व्यवसायिकों के लिये प्रशिक्षण और अनुसंधान-सहायता मुहैया करना और प्रशासकों व्यवसायिकों अनुसंधानकर्त्ताओं तथा अन्यों के लिये पारस्परिक कार्य का एक मंच स्थापित करना है। यह संस्था (एच० एम० एम० आई०) आवास तथा मानव बस्ती के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तरीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था के रूप में कार्य करता है, विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न विशिष्ट राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करता है और आवास तथा मानव बस्तियों के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायिकों की तकनीकी तथा प्रबंधकीय दक्षता में उन्नयन करने के लिये नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

(ग) यह संस्थान मकानों के निर्माण का कार्य नहीं करता।

Foodgrains stock position of FCI in Tripura

1154. SHRI NARAYAN KAR: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the total stock of foodgrains available in godowns of FCI in Tripura during the 1990, godown-wise;

(b) the quantity of foodgrains declared unfit for human consumption lying in different godowns in Tripura; and

(c) whether Government are aware of the fact that starvation have started in tribal areas of the State due to non-supply of foodgrains by the ration shops?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) A quantity of 12592 M.T.s of foodgrains (Rice-11197 M.Ts and wheat-1395 Tonnes) is lying in stocks of F.C.I. at present in various godowns in Tripura. However, godown-wise stock position is not available.

(b) Total quantity of 0.122 Metric tonnes of wheat and 48.950 M.T.s of rice was lying as damaged and unfit for human consumption as on 1-7-1990.

(c) Central Government issues foodgrains to the State Government for meeting the requirements of public distribution system, which is only supplemental to the open market availability. State Government/U.T., is responsible for implementing the Public Distribution Scheme. However, Central Government is not aware of any non-supply of foodgrains by ration shop.

Demands of Anganwadi Workers

1155. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision on the demands of Anganwadi Workers regarding minimum wages etc; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN). (a) and (b) No, Sir. The anganwadi workers and helpers have submitted representations to Government demanding status of Government employees and remunerations equal to minimum wages. Since Integrated Child Development Services Programme has been visualised on principle of community participation and these functionaries are part-time ($4\frac{1}{2}$ hrs. daily), Voluntary Workers selected from the local community, any of these two demands are not possible to be met.

देश में भवन निर्माण सामग्री की कमी

1156. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में भवन निर्माण की महत्वपूर्ण सामग्रियों का अभाव है, यदि हां, तो विभिन्न प्रकार की भवन